प्रभु गुरु में कछु भेद नहिं, पूरण शब्द स्वरूप।
गुरु से कभि अभिमान नहिं, देहु विवेक अनूप।।

संपादकीय

आचार संहिता की चुनौती

एक महीने से कुछ अधिक समय के भीतर देश में दूसरे सबसे लंबे आम चुनावों का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का बड़ा उत्सव होगा। भारत जैसे विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश के लिए इस पंचवर्षीय आयोजन का पैमाना कभी कम नहीं था। 2024 के चुनाव का आकार अपने पूर्ववर्तियों को छोटा साबित कर देगा। सात चरणों में होने जा रहे आम चुनावों के लिए करीब 96.9 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इसके साथ ही चार राज्यों के विधान सभा चुनाव भी होंगे। यह आंकड़ा देश की चुनावी कवायद को इस वर्ष अन्य बड़े लोकतांत्रिक देशों में होने जा रहे चुनावों की तुलना में बड़ा बनाने वाला है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। वहां करीब 20.4 करोड़ मतदाता हैं। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश है वहां करीब 16.8 करोड़ मतदाता हैं।

भारत में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है। अनुमान के मुताबिक ही इन मतदाताओं में जो गरीब हैं वे प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के निशाने पर हैं। इन चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका होगी क्योंकि करीब 29 फीसदी मतदाता 18 से 29 वर्ष की आयु के हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि भारत में करीब दो लाख मतदाताओं की आयु 100 वर्ष से अधिक है। यह एक तथ्य है कि भारत इतने बड़े चुनावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिये अंजाम देने में कामयाब रहता आया है और हमारे ऊपर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह मत पत्रों की हेराफेरी या चोरी जैसे कोई इल्जाम नहीं लगे। इस लिहाज से भारत का प्रदर्शन सराहनीय है। कुछ चिंता की बातें भी हैं और उनमें से प्रमुख है भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता की निगरानी और उसे प्रभावी ढंग से लागू कराने की क्षमता। इस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव प्रक्रिया को लंबा बनाना मसलन 1999 के 29 दिन से 2019 में 39 दिन और 2024 में उसे 44 दिन करना प्रमुख विपक्षी दलों के बीच विवाद का विषय है। चुनाव आयोग ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि कई चरणों में चुनाव कराना इसलिए आवश्यक है ताकि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर तैनात किया जा सके। चुनावों को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग 1.5 करोड़ मतदानकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की सेवाएं लेता है। चुनाव प्रचार अभियान की आवृत्ति और गहनता को देखते हुए यह यह उ मीद करना कठिन है कि वह इस बात की प्रभावी निगरानी करे कि सभी दल आचार संहिता का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। चरणबद्ध मतदान भी सवाल पैदा करते हैं। प्रमुख आशंका यह है कि लंबी अवधि तक विस्तारित चुनाव सत्ताधारी दल को असंगत रूप से फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि उसके पास सरकारी अधोसंरचना होती है जिसका वह चुनाव प्रचार में फायदा उठा सकता है। एक और विषय जिस पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है वह है टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया और फोन का प्रचार उपकरणों के रूप में इस्तेमाल। लंबे समय तक चलने वाले चुनावों में ऐसे आभासी प्रचार प्रतिस्पर्धी दलों को यह अवसर देते हैं कि वे उन इलाकों में भी अपने प्रचार को बढ़ा सके जहां मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार रोक दिया जाना चाहिए। अधिकांश दल चतुराईपूर्ण तरीके से इन प्रचार तकनीकों का इस्तेमाल करके प्रचार पर रोक को धता बताने की कोशिश करते हैं।

ये वे चुनौतियां हैं जिनसे निर्वाचन आयोग को शीघ्र निपटने की आवश्यकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए भी मशविरा जारी किया है। उदाहरण के लिए उसने सलाह दी है कि प्रचार अभियान मुद्दों पर आधारित होना चाहिए और दलों को नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं देने चाहिए। मतदान की अपीलें जाति और धर्म के आधार पर नहीं की जानी चाहिए और शुचिता बनाए रखना चुनाव प्रचारकों की जिम्मेदारी है। चूंकि चुनाव प्रतिस्पर्धी होते हैं, ऐसे में यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि हर कोई नियम कायदों का पालन करे।

आज का विचार

पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। लेकिन, यह अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है।

'गारंटी' बनाम 'गारंटी'

क्या आगामी लोकसभा चुनाव में होगी गारंटी-गारंटी की लड़ाई ?

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल इस चुनाव में कई मुद्दों और 'गारंटी' के सहारे जनता के बीच आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की तैयारी में हैं। ऐसे में उन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उठाए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका स्पष्ट संकेत दिया है कि इस चुनाव में उनके प्रचार अभियान का मुख्य विषय 'मोदी की गारंटी' रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, 'मोदी की गारंटी' युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों के लिए एक गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य चुनावों में कुछ हद तक फायदा होता दिखा, जब उसने लोगों को 'गारंटी' दी। अब लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और आदिवासी समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ 'भागीदार न्याय' के उद्देश्य से अपनी 5 'न्याय गारंटी' की बात की है। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की अगुवाई वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान लोगों के सामने 'न्याय की गारंटी' पेश की गई है। कांग्रेस का घोषणापत्र इन गारंटी के इर्द-गिर्द तैयार किए जाने की संभावना है और पार्टी अपना अभियान इन्हीं गारंटी के इर्द-गिर्द तैयार करेगी।

कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाती रही हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि नौकरियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं पेट्रोल-डीजल के दाम हो या फिर रोजमर्रा का सामान, इनकी कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। हालांकि भाजपा ने रोजगार वृद्धि और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार भी किया है। चुनावी मौसम में बेरोजगारी और महंगाई भी बड़े मुद्दे हैं।

अनुच्छेद 370, सीएए और समान नागरिक संहिता भाजपा के लोगों के बीच किए गए वादों में से हैं। भाजपा ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन और जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करके अपने वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं सीएए को भी लागू कर दिया गया है। इन्हें पार्टी ने समय समय पर मुद्दा बनाया है और इस चुनाव में भाजपा इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहित लागू हो चुका है। अन्य राज्यों पर बातचीत जारी है।

22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा ने जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया। समारोह का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीकवाद किसी से भी छिपा नहीं था। भाजपा नेताओं ने सदियों पुराने सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। इस अवसर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में भगवा झंडे फहराए गए, इसका प्रभाव हर किसी पर महसूस किया जा सकता है। यहां तक कि विपक्षी नेता भी मानते हैं कि राम मंदिर से भाजपा को उत्तर भारत में फायदा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को कम से कम 370 सीटें मिलने का ज्यादातर भरोसा इसी 'राम मंदिर लहर' से उपजा है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की है। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा सामने आया है और विपक्ष ने इसे लपक लिया है, लेकिन यह जमीनी स्तर पर काम करेगा या नहीं, यह अभी भी देखना बाकी है। हालांकि, यह निश्चित रूप से अभियान के दौरान चर्चा के बड़े विषयों में से एक होगा।

चुनावी मौसम के दौरान एक बड़ा मुद्दा है अमृत काल बनाम अन्य काल। भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों को 'बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, संस्थानों पर कब्जा, संविधान पर हमला और बढ़ती आर्थिक असमानताओं' वाला 'अन्य काल' करार दिया है।

चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन भी चर्चा में हावी रहने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं भाजपा नेता किसान नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और वे आरोप लगाते रहे हैं कि कई आंदोलनकारी राजनीति से प्रेरित हैं।

यह चुनाव एक महत्वपूर्ण चरण का भी प्रतीक है जिसे कई लोग भाजपा और कांग्रेस के बीच 'विचारधाराओं की लड़ाई' कहते हैं। दोनों पार्टियां अपने वैचारिक सिद्धांत लोगों के सामने रखेंगी और उनसे किसी एक को चुनने के लिए कहेंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश का लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र बनना है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार 2047 तक इस लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत का दृष्टिकोण भाजपा के चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण रहने की संभावना है, जबकि विपक्ष इसे 'एक और जुमला' करार दे रहा है। हालांकि, चुनाव अभियान के दौरान यह एक प्रमुख विषय बना रहेगा।

सहज योग संदेश

अ

श्री सद्गुरु देव जी की अनुभव वाणी

मन को उपदिष्ट भूमि पर बाँधना धारणा है, शब्द के आधार पर स्थित होना ध्यान है और शब्द स्वरूप हो जाना समाधि है। इसमें चेतन मंडल की धारणा, ध्यान और समाधि का अनुभव सर्वोपरि है। वास्तविक योग-साधन का यही चमोत्कर्ष है और यही योग का क्रमिक, मगर पूर्ण विज्ञान है।

-जारी

महर्षि सदाफल देव जी महाराज

छलावा

लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा

भारत की सियासत में लोग अपनी सुविधानुसार धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करते है। नागरिकता संशोधन कानून और धर्मनिरपेक्षता को लेकर देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। नेतागण इस पर अपने अपने मतानुसार व्याख्या कर सियासत को गरमाये हुए है। धर्मनिरपेक्षता के कथित ठेकेदार गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर खुद को सब से बड़ा धर्मनिरपेक्ष घोषित करते है। विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नवगठित इंडिया गठबंधन की पार्टियां स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का झंडाबरदार बताते है। हैरानी की बात तो यह है इन्हीं पार्टियों के कथित धर्मनिरपेक्ष नेता जब दलबदल कर भाजपा में शामिल होते है तो भाजपा को देशभक्त पार्टी बताते देर नहीं लगते। कांग्रेस के 12 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में विजय बहुगुणा, पेमा खांडू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टनअमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, एसएम कृष्णा, किरण रेड्डी, अशोक चव्हाण, दिगंबर कामत, रवि नाइक, मिलिंद देवड़, जितिन प्रसाद, सुरेश पचैरी आदि नेताओं की एक लम्बी फेहरिस्त है। ये नेता साम्प्रदायिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पानी पी-पीकर कोसते थे और आज उसी साम्प्रदायिक पार्टी भाजपा में शामिल होकर देश प्रेमी बन गये। साथ ही भाजपा के सांप्रदायिक कहे जाने वाले नेता जब कांग्रेस में शामिल होते है तो रातों रात धर्मनिरपेक्ष हो जाते है। आज कांग्रेस में अनेक ऐसे नेता विद्यमान हैं जो जनसंघ या आर.एस.एस. से होकर कांग्रेस में सत्तारूढ़ हुए हैं। कहने का मतलब है आप जब तक भाजपा में रहेंगे तब तक साम्प्रदायिक कहलाएंगे और जैसे ही कांग्रेस में आ जाएंगे धर्म निरपेक्षता के प्रतीक हो जाएंगे।

आजादी के आंदोलन में हिन्दू-मुसलमान, सिक्ख, इसाई और पारसी आदि सभी धर्मावलम्बियों ने विदेशी दासता के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। उस समय धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द प्रचलन में नहीं था। शायद इसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। आजादी के बाद बने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नही किया गया था, हालाँकि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। देश में आपातकाल के दौरान जब विपक्ष के नेता जेलों में बंद थे उस समय 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बयालीसवें संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता नाम से यह शब्द सियासत में फैशन की तरह शामिल हो गया।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और नरसिंहराव के अवतरित होने पर सेक्युलरिज्म की चर्चा गर्म हुई और छूत, अछूत को लेकर दो धड़े बन गए। नेताओं ने अपनी सत्ता लिप्सा और स्वार्थ के चलते सेक्युलरिज्म अर्थात् साम्प्रदायिकता की हवा को तूफान में बदल डाला। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने साम्प्रदायिक शक्तियों का हवाला देते हुए जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष) का गठन किया। भाजपा से दूर-दूर का वास्ता न रखने का आह्वान करने वाले मधु दंडवते और सुरेन्द्र मोहन जैसे अनेक समाजवादी भी इस दल में शामिल हो गए। मगर यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सेक्युलरिज्म की सबसे अधिक दुहाई देने और अपने दल का नाम जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) रखने वाले लोगों ने ही सबसे पहले कथित साम्प्रदायिक शक्तियों से समझौता किया और कर्नाटक में भाजपा से मिलीजुली सरकार बनाई। सेक्युलरिज्म यहाँ दफन हो गया। साम्प्रदायिक शक्तियों का जोर-शोर से विरोध करने वाले और मौलाना मुलायम के नाम से मशहूर हुए समाजवादी सुप्रीमो ने सबसे पहले उस कल्याण सिंह को गले लगाया जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने में सबसे आगे थे। इसी भांति कांग्रेस ने साम्प्रदायिकता का हौव्वा खड़ा कर भाजपा को बदनाम किया और इसी कांग्रेस ने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर सबसे पहले अपनी विचारधारा को त्यागा और आर.एस.एस. प्रचारक और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला को गले लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े झण्डाबरदार रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव उनके सुशासन के बहुत बड़े प्रशंसक थे । नीतीश हाल ही चैथी बार भाजपा के साथ हुए है। जब भाजपा के साथ होते है तब सांप्रदायिक और इंडि गठबंधन के साथ आते ही सेक्युलर। रामविलास पासवान सोनिया गांधी के साथ थे तब अच्छे थे और भाजपा के साथ आते ही अछूत हो गये। फारूख अब्दुल्ला और उनके सुपुत्र भाजपा के साथ वर्षों सत्ता में भागीदार थे। तब भाजपा उन्हें साम्प्रदायिक नजर नहीं आई। केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सत्ता के गठबंधन में शामिल है मगर साम्प्रदायिक नहीं है। जार्ज फर्नांडीस खालिस समाजवादी थे। कांग्रेस के घोर विरोधी थे मगर भाजपा के साथ आते ही उन्हें अछूत घोषित किया गया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। अब समय आ गया है देशवासियों को इस छद्म साम्प्रदायिकता पर विचार मंथन करना चाहिए और कथित सेक्युलरिज्म का भण्डाफोड़ करना चाहिए। गरीब की सेवा का व्रत लेने वाला राजनीतिक दल ही सच्चा और जनसेवी दल है और इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद बेमानी है।

– बाल मुकुन्द ओझा

क्यों जरूरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत ?

श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत के महान बलिदानी, देशभक्त और भविष्यद्रष्टा थे। स्वयं का बलिदान कर उन्होंने हमारे भविष्य को सुरक्षित करने, राष्ट्र को सुरक्षित करने के साथ ही साथ विखंडनकारियों और हिंसक संस्कृति के सहचरों को बेनकाब किया था, चुनौती दी थी। उनकी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा सर्वश्रेष्ठ थी। पाकिस्तान परस्ती, नेहरू की छदम् धर्मनिरपेक्षता, शेख अब्दुला की विखंडनकारी नीति और जिहादी समूहों के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने का पराक्रम भी उन्होंने दिखाया था। आज पूरे देश में राष्ट्र भक्ति की जो आवाज गूंज रही है, आयातित संस्कृति की हिंसक मानसिकता को जो चुनौती मिल रही है उसकी नींव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा और बलिदान ही निहीत है। नरेन्द्र मोदी की राष्ट्नीति, सुरक्षा नीति के केन्द्र विन्दु भी मुखर्जी की विरासत और बलिदान ही हैं। सिर्फ हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कम्युनिस्ट राष्ट्र की अवधारणा नहीं मानते हैं, इस्लाम भी राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। फिर आप विचार कीजिये कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्भक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनके बलिदान का सही अर्थो में मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। वे सिर्फ एक देश और दो झंडे तथा जम्मू-कश्मीर में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र की अनिवार्यता के खिलाफ ही बलिदान नहीं दिया था। उनका बलिदान जिहादी राजनीति से मुक्ति और सनातन की समृद्धि के लिए भी था। जिहादी राजनीति के प्रतीक जवाहर लाल नेहरू थे। नेहरू ने भारत का इस्लामीकरण करने के सभी हथकंडे अपनाये थे। नेहरू कहा करते थे कि मैं गलती से हिन्दू धर्म में पैदा ले लिया, मैं कर्म और चरित्र से मुसलमान हूं, इस्लाम को मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता हूं, उनकी इसी मानसिकता से जम्मू-कश्मीर में इस्लाम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती कायम हुई थी, नेहरू ने सनातन धर्म को कमजोर करने और नष्ट करने के सभी कोशिशें की थी। सरदार पटेल ने तब कहा था कि अगर मजहब के आधार पर पाकिस्तान बन गया, आबादी के अनुसार मुसलमानों को क्षेत्र-भूमि प्रदान कर दी गयी तो फिर भारत में मुस्लिम आबादी की जरूरत ही क्या है, भारत को मुस्लिम आबादी और मुस्लिम समस्या से मुक्त करना चाहिए पर पटेल की इस अवधारणा को नेहरू ने सफल नहीं होने दिया था।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर की जेल में मृत्यु नही हुई थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या शेख अब्दुला और नेहरू की सांठगाठ से हुई थी, उन पर अत्याचार हुए थे, उनकी मौत को मृत्यु के रूप में बदलने की पूरी साजिश हुई थी। नेहरू और शेख अब्दुला डरे हुए थे। मुखर्जी जी की राष्ट्भक्ति के सामने नेहरू और शेख अब्दुला की मुस्लिम परस्ती को चुनौती मिल रही थी, इस कारण इनकी मुस्लिम परस्ती कमजोर पड रही थी और सनातन की जागरूकता बढ रही थी, सनातन का प्रतिनिधि संगठन संघ और जनसंघ का जनाधार बढ रहा था। यही कारण था कि नेहरू और शेख अब्दुला ने मुखर्जी जी की हत्या करायी। पर मुखर्जी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। एक देश और दो झंडे और जम्मू-कश्मीर में प्रवेश के लिए अनिवार्य अनुमति की अवधारणा समाप्त हुई, यह मुखर्जी जी के बलिदान की महान जीत थी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना अभी भी अधूरा है। उन्होंने सिर्फ धारा 370 की समाप्ति का ही सपना नहीं देखा था बल्कि जिहाद मुक्त और इस्लाम मुक्त भारत का भी सपना देखा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त कर मुखर्जी के एक सपने को तो पूरा कर दिया पर अभी भी हम जिहादी खतरे और जिहादी इस्लाम के खतरे से मुक्त या फिर सुरक्षित नहीं हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय तो एक कश्मीर था पर आज कश्मीर जैसी जिहादी स्थितियां पश्चिम बंगाल, असम और केरल आदि प्रदेशों में स्थाई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अनेक क्षेत्र और मुहल्ले हैं जहां से हिन्दुओं को पलायन जारी है, हिन्दुओं के घर विकाउ हैं, का बोर्ड लगा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड की हलद्वानी जैसी घटना चिंता और डर पैदा करती हैं। गजवा ए हिन्द का शोर है। देवबंद जैसे संस्थान भारत को गजवा ए हिन्द बनाने का फतवा जारी करता है, फिर भी हम खामोश रहते हैं, गजवा हिन्द बनाने मे लगे हुए देवबंद जैसी संस्थाओं के फंडित सहित अन्य गतिविधियों पर रोक की जरूरत है। तालिबानी हिंसा की दस्तक भी विचारणीय विषय है। क्या नूपुर शर्मा के प्रकरण में तालिबानी हिंसा को अंजाम नहीं दिया गया, कई हिन्दुओं को मौत का घाट नहीं उतारा गया? क्या कमलेश तिवारी जैसी दर्जनों हिन्दू एक्टिविस्टों को तालिबानी संस्कृति के तहत मौत का घाट नहीं उतारा गया? तालिबानी हिंसा की आवाज आप सुन नहीं रहेंगे होंगे पर मेरे जैसे जागरूक लोग जरूर सुन रहे हैं। हिन्दुत्व के लडने वालों को आज सीधे मौत का घाट उतार दिया जाता है।

महान विचारक और भगवान श्रीराम आंदोलन को घर-घर तक पहुंचाने वालें अशोक सिंघल जी को याद करना आवश्यक है, उनकी सोच और वाणी महत्वपूर्ण हैं। अशोक सिंघल जी ने कहा था कि आठ सौ साल बाद भारत पर सनातन का राज कायम हुआ है। इन आठ सौ सालो में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित लाखों-करोड़ों का बलिदान रहा है, रक्तरंजित इतिहास को हमने भुगता है।

अशोक सिंघल जी ने सच बोली थी पर धर्मनिरपेक्षता के किटाणुओं ने उनकी आलोचना और खिल्ली किस प्रकार से उडायी थी, किस प्रकार से उनकी हिंसक आलोचना की थी, यह भी स्पष्ट है। आठ सौ साल हम गुलाम रहे हैं, इस दौरान गुलामी हम थोपी गयी, धर्मनिरपेक्षता थोपी गयी, हमें अपने ही धर्म से विमुख होने के लिए प्रेरित किया गया, बाध्य किया गया, आयातित संस्कृति को बढावा दिया गया। संवैधानिक तौर पर हमें दोयम दर्जे के नागरिक धोषित किया गया, हम पर प्रतिबंधों का जेल लाद दिया गया पर आयातित संस्कृति के हिंसक लोगों को विशेषाधिकार से युक्त कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम हम दिन-रात झेलते हैं।

सुखद अनुभूति है कि हमारे पास इस खतरनाक युग में नरेन्द्र मोदी जैसा शासक मिला हुआ है। नरेन्द्र मोदी के सामने भी हजार चुनौतियां हैं, हजार बंधनें हैं, ये चुनौतियां और बंधनें संविधान की है, धर्मनिरपेक्षता की है, संयुक्त राष्ट्संघ की है, दो देशों की हुई संधियों की हैं, हम संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्संघ और दो देशो के बीच हुई संधियों के मकंडजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बडी मार हमारी पेटो पदार्थों की कमी है। जिनके पास पेटो पदार्थ हैं वे सभी आयातित संस्कृति और जिहादी संस्कृति से युक्त देश हैं। अगर नरेन्द्र मोदी जिहादी लोगों को बाहर करने या फिर संवैधानिक तौर पर कुछ गंभीर करने की कोशिश करेंगे तो फिर पेटो पदार्थ युक्त देश पेटो पदार्थ देने से इनकार कर देगे, फिर भारत की सक्रियता मारी जायेगी। इसलिए नरेन्द्र मोदी जिहादी राजनीति और संस्कृति पर धीरे-धीरे पर गंभीर चोट कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने बिना युद्ध के धूल चटायी, चीन को गलवान में ऐसी मार मारी कि सीमा पर अब चीनी सैनिकों की तानाशाही और बलजोरी समाप्त हो गयी।

सीएए लागू होना भी मोदी की महान वीरता है। हिन्दुओं की नागरिकता पर कितने प्रश्न खडे किये जा रहे हैं, शाहीनबाग से लेकर न जाने कितने अवरोधक खडे किये गये, हिंसक युद्धाभ्यास हुए, हिंसाएं हुई, हत्याएं हुई, दंगे हुए, भारत की छबि खराब की गयी? देश में करोड़ों रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिये और पाकिस्तान-अफगानिस्तानी मुसलमान रह सकते हैं, वे नागरिकता के कागजात हासिल कर सकते हैं पर कुछ हजार हिन्दू शरणार्थियो को नागरिकता प्रदान करने की सक्रियता पर युद्ध जैसी स्थित खडा की जाती है, ऐसा लगता है कि भारत एक इस्लामिक देश है जहां पर हिन्दुओं का रहना हराम है। फिर भी नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जान बचाकर आये हिन्दुओं को नागरिकता देने के प्रति कटिबद्ध हैं। नरेन्द्र मोदी की यह वीरता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान आदर्शो और प्रेरणाओं और बलिदानों में ही निहित है।

हमें उतावला का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें बहकावे का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें आत्मघाती नहीं बनना चाहिए, हमें भस्मासुर नहीं बनना चाहिए, हमें कांग्रेसी और एयरकंडिश्नर साधु संतों का गुलाम और लाउडीस्पिकर नहीं बनना चाहिए, हमें जाति की सर्वश्रेष्ठता की भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। क्या आपने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हिन्दू विरोधी शंकराचार्यो और अन्य कांग्रेस परस्त तथाकथित संतों की भाषा नहीं देखी, नहीं सुनी थी? पांच सौ साल तक भगवान राम पर हिंसक प्रहार करने वाले लोग कहने लगे कि नरेन्द्र मोदी की जरूरत क्यों है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में, उनकी जाति पर भी प्रश्न खडे कर दिये गये, ये सभी खतरनाक और हिंसक स्थितियां हमारी एकता और जागरूकता को संहार करने के लिए सक्रिय रहती है। इसलिए हमें जाति की सर्वश्रेष्ठता के भाव की जगह सनातन की सर्वश्रेष्ठता का भाव उत्पन्न करना है। अगर हम जाति तोडो और सनातन जोडों के मार्ग पर चले तो और भी अच्छा होगा। यह सही है कि नरेन्द्र मोदी ने जाति की जगह राष्ट्र की प्रखरता को अपनी शक्ति बनायी है।

महान बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का विशाल, अखंड और सनातन भारत बनाने मे हम तभी सफल होंगे जब राष्ट्र की जागरूकता में निरंतर प्रगति होगी। हम पर आठ सौ साल की गुलामी फिर से हावी नहीं हो सके, हम आज की जागरूकता को निरंतन बनायें रखें, नरेन्द्र मोदी पर धीरज के साथ विश्वास रखें और नरेन्द्र मोदी का समर्थन करते रहें। 2024 में हमारी सत्ता कालनेमियों के हाथ में न जायें। अगर हमने यह अवसर खो दिया तो फिर कालनेमी हमारा संहार कर ही दम लेंगे।

आचार्य विष्णु हरि

बदलाव

एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ते कदम

डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिये नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।

बीते दिनों भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 'एक देश, एक चुनाव' पर अपनी रपट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। यह रपट व्यापक विमर्श का महादस्तावेज है, लिहाजा यह संदेह करना कि देश में एक ही पार्टी काम करेगी या 2029 के बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे, फिजूल और पूर्वाग्रह है। करीब 7 माह के दौरान 65 बैठकें की गईं, 11 रपटों का अध्ययन किया गया और 21,558 लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई। उनमें से 80 फीसदी से अधिक लोग 'एक देश, एक चुनाव' के समर्थन में थे। विशालकाय रपट 18,626 पन्नों की है।

गौरतलब यह है कि देश के चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशों-जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद और यूयू ललित- ने 'एक चुनाव' का समर्थन किया है। उच्च न्यायालय के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से सिर्फ तीन ही विरोध में थे। जाहिर है कि कानून और संविधान के विशेषज्ञों का प्रचंड बहुमत 'एक चुनाव' के पक्ष में है। समिति ने 47 राजनीतिक दलों का पक्ष भी जाना, तो 15 दलों ने विरोध जताया। उनमें कांग्रेस, सीपीएम, बसपा, आप सरीखे राष्ट्रीय दलों समेत तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सीपीआई, ओवैसी की पार्टी, एमडीएमके, नगा पीपुल्स फ्रंट, सीपीआई (एमएल) और सपा आदि क्षेत्रीय दल भी नई व्यवस्था के खिलाफ हैं।

जाहिर है कि वे मौजूदा सत्ता-पक्ष भाजपा-एनडीए के विरोधी हैं, लेकिन क्या 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के समर्थन को खारिज किया जा सकता है? याद रहे कि कांग्रेस ही उस समय देश पर राज कर रही थी, जब 'एक चुनाव' ही होते थे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। यह दीगर है कि तब संसाधन कम चाहिए थे और मतदान मतपत्रों के जरिए होते थे। अब मौजूदा आम चुनाव में ही 10 लाख से अधिक ईवीएम लगाई जाती हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी देते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती इनसे अलग है।

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है।

एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव

करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिये गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिये बनाया गया है। एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएँ पाँच वर्षों के लिये चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, जहाँ अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढाँचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिये घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जायेगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय ढांचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की बारंबारता एक अकाट्य सच्चाई है।

जाहिर है कि 'एक चुनाव' की स्थिति में ईवीएम ही 40 लाख के करीब चाहिए और सिर्फ दो कंपनियां ही देश में ईवीएम बनाती हैं। उनका उत्पादन औसत भी 4 लाख सालाना से कम है। चूंकि नई व्यवस्था 2029 के आम चुनाव से लागू करने की बात कही जा रही है, लिहाजा यह इतनी सहज और आसान व्यवस्था नहीं होगी कि देश में 'एक चुनाव' ही होने लगें। सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तो यह है कि 'एक चुनाव' को शुरू करने के लिए संविधान में 18 संशोधन करने होंगे।

संसद में कोई भी संविधान-संशोधन दो-तिहाई बहुमत, यानी 362 सांसदों के समर्थन, से ही संभव हो सकता है। हालांकि कुछ संशोधनों के लिए 50 फीसदी राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए अनुच्छेद 325 में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 324-ए में बदलाव करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी आम चुनाव के साथ कराए जाएंगे। अनुच्छेद 368-ए के तहत ऐसे संविधान संशोधन बिल को 50 फीसदी राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। इसी तरह विधानसभा वाले संघशासित क्षेत्रों के लिए अलग से संविधान संशोधन बिल पारित कराने होंगे।

एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, किन्तु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है। चुनावों के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिये एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार, कालेधन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यदि देश में एक देश एक कर यानी जीएसटी लागू हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता?

-चिकित्सक एवं लेखक